



उत्तराखण्ड विधान सभा की कार्यसूची

बुधवार, 06 आश्विन, शक संवत्, 1933
(दिनांक : 28 सितम्बर, 2011)

समय : 11 : 00 बजे पूर्वाह्न

1. प्रश्न (देखिए नत्थी "क" तथा "ख")।
2. निधन के निदेश।
3. मुख्यमंत्री, केन्द्रीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 105 के अन्तर्गत राज्य विद्युत नियामक आयोग के वर्ष 2009-10 की वार्षिक रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखेंगे।
4. मुख्यमंत्री, केन्द्रीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अधीन उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के विनियमों के निम्नलिखित संकलनों को सदन के पटल पर रखेंगे :-
 - (1) उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (ओम्बड्समैन की नियुक्ति एवं कार्य क्षेत्र) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2010
 - (2) उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायत निवारण हेतु सदस्यों की नियुक्ति तथा मंच द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया संबंधी मार्ग दर्शिका) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2010
 - (3) उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (जल विद्युत उत्पादन, वितरण एवं पारेक्षण की दर के अवधारण हेतु निबन्धन एवं शर्तें) विनियम, 2004 के लागू होने की समयावधि का विस्तारीकरण (दिनांक 30.06.2010 तक)
 - (1) उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (जल विद्युत उत्पादन, वितरण एवं पारेक्षण की दर के अवधारण हेतु निबन्धन एवं शर्तें) विनियम, 2004 के लागू होने की समयावधि का विस्तारीकरण (दिनांक 30.09.2010 तक)
 - (2) उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (जल विद्युत उत्पादन, वितरण एवं पारेक्षण की दर के अवधारण हेतु निबन्धन एवं शर्तें) विनियम, 2004 के लागू होने की समयावधि का विस्तारीकरण (दिनांक 31.03.2011 तक)

(3) उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (जल विद्युत उत्पादन, वितरण एवं पारेक्षण की दर के अवधारण हेतु निबन्धन एवं शर्तें) विनियम, 2004 के लागू होने की समयावधि का विस्तारीकरण (दिनांक 30.06.2011 तक)

(4) उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (जल विद्युत उत्पादन, वितरण एवं पारेक्षण की दर के अवधारण हेतु निबन्धन एवं शर्तें) विनियम, 2004 के लागू होने की समयावधि का विस्तारीकरण (दिनांक 30.11.2011 तक)

(4) उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (नवीकरण ऊर्जा स्रोतों तथा गैर जीवाश्म-ईंधन आधारित-सह-उत्पादक स्टेशनों से विद्युत की आपूर्ति हेतु शुल्क एवं अन्य निबन्धन) विनियम, 2010

(5) उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (कारोबार का संचालन) विनियम (कठिनाईयों का निराकरण) (प्रथम) आदेश 2010

(6) उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (राज्यान्तर्गत उन्मुक्त अभिगमन हेतु निबन्धन एवं शर्तें) विनियम 2010।

(7) उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (नवीकरणीय कय दायित्व का अनुपालन) विनियम 2010

5. सदस्यों की गिरफ्तारी, निरोध व रिहाई की सूचनायें, यदि कोई हों।
6. श्री जोत सिंह गुनसोला, सदस्य, विधान सभा, "ग्राम सभा नकरौंदा, वार्ड संख्या- 11 जनपद देहरादून में 250 मीटर सी0सी0 सड़क निर्माण किये जाने संबंधी" श्री आनन्द सिंह नेगी, निवासी ग्राम नकरौंदा, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।
7. विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न, यदि कोई हों।
8. नियम 315 के खण्ड (13) व (14) के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।
9. मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य, यदि कोई हों।
10. उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 2005 के नियम-315 के खण्ड (22) के अन्तर्गत मा0 अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।

(कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशों के लिए देखिए नत्थी-"ग")

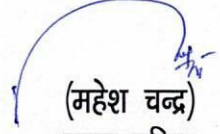
11. कार्यस्थगन का प्रस्ताव, यदि कोई हो।
12. मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2011 पर विचार किया जाय (एक घण्टा)।
13. मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2011 पारित किया जाय।

14. मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड विशेष न्यायालय विधेयक, 2011 पर विचार किया जाय (एक घण्टा)।
15. मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड विशेष न्यायालय विधेयक, 2011 पारित किया जाय।
16. मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार विधेयक, 2011 पर विचार किया जाय (एक घण्टा)।
17. मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार विधेयक, 2011 पारित किया जाय।

(समय : अपराह्न 4:00 बजे)।

18. मुख्यमंत्री, वित्तीय वर्ष 2011-12 की प्रथम अनुपूरक मांगें प्रस्तुत करेंगे।
19. नियम 53 के अन्तर्गत सूचनाएं, यदि कोई हों।

देहरादून :
दिनांक : 28 सितम्बर, 2011

आज्ञा से,

(महेश चन्द्र)
प्रमुख सचिव।



द्वितीय सत्र, 2011
का प्रथम बुधवार

उत्तराखण्ड विधान सभा

की कार्यसूची

बुधवार, 06 आश्विन, शक संवत्, 1933

(दिनांक : 28 सितम्बर, 2011)

नत्थी "क"

उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली 2005 के नियम 40 (2) के अन्तर्गत
द्वितीय सत्र, 2011 के प्रथम बुधवार हेतु निर्धारित स्थगित तारांकित प्रश्न संख्या-01

श्री दिनेश अग्रवाल
23.02.2011

*1. क्या खाद्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि अटल सस्ता अनाज योजना के प्रचार-प्रसार पर कितना खर्चा किया गया है? उक्त योजना सरकार द्वारा लागू की गयी है या किसी राजनैतिक पार्टी द्वारा? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि इस योजना के माध्यम से ए0पी0एल0 परिवारों को कितना चावल व गेहूं उपलब्ध कराया जायेगा? क्या योजना के अनुरूप अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?

खाद्य

नत्थी "ख"

तारांकित प्रश्न

- | | | |
|-------------------------------------|--|---|
| श्री जोत सिंह गुनसोला
06.07.2011 | *1. क्या शहरी विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि नगरीय क्षेत्रों में अन्तिम कूड़ा निष्पादन का कोई निर्णय लिया गया है तथा मसूरी नगर पालिका परिषद में अन्तिम कूड़ा निष्पादन हेतु क्या कोई योजना स्वीकृत की गई है? यदि हां, तो किस संस्था द्वारा इस परियोजना को नगरीय क्षेत्रों में लागू किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों? | शहरी विकास |
| श्री जोत सिंह गुनसोला
13.07.2011 | *2. क्या पर्यटन मंत्री अवगत हैं कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा पर्यटकों की सहायता हेतु पर्यटन पुलिस की स्थापना का निर्णय किया गया था? क्या यह सत्य है कि पूर्व सैनिकों को पर्यटन पुलिस की ट्रेनिंग दी गयी थी? यदि हां, तो क्या उन्हें नियुक्तियां दे दी गयी हैं? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार द्वारा उत्तराखण्ड पुलिस को पर्यटकों की सहायता के लिए नियोजित करने का निर्णय लिया गया था? यदि हां, तो इसके परिणाम क्या हैं? | पर्यटन |
| श्री शेर सिंह गढ़िया
29.08.2011 | *3. क्या खाद्य मंत्री अवगत हैं कि प्रदेश के पर्वतीय जिलों में बी0पी0एल0 कार्ड धारकों को खाद्यान्न नहीं मिल रहा है? यदि हां, तो ऐसे कुल कितने बी0पी0एल0 श्रेणी के कार्ड धारक हैं जिनको नियमित खाद्यान्न नहीं दिया जा रहा है तथा इसके क्या कारण हैं? | खाद्य |
| श्रीमती अमृता रावत
14.07.2011 | *4. क्या पर्यटन मंत्री अवगत हैं कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके परिवार के द्वारा माह जून 2011 में उत्तराखण्ड में चारधाम की यात्रा की है? यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि उनके द्वारा उत्तराखण्ड में अनेक योजनाओं/परियोजनाओं का भी लोकार्पण/शिलान्यास किया गया है? यदि हां, तो ऐसी योजनाओं तथा इनके निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि का योजनावार विवरण क्या है तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष से योजनाओं का लोकार्पण/शिलान्यास करवाए जाने का उद्देश्य एवं औचित्य क्या है? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि इन लोकार्पण/शिलान्यास कार्यक्रमों पर राज्य सरकार द्वारा किए गए व्यय का योजनावार विवरण क्या है? | तृतीय सोमवार के
तरांकित 3 में
स्थाना0 |

अतारांकित प्रश्न

श्री मयूख महर
05.07.2011

1. क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र से हो रहे जनसंख्या पलायन की रोकथाम के लिये क्या प्रयास कर रही है? जनपद पिथौरागढ़ से गत पांच वर्षों में हुये पलायन से कितने गांव गैर आबाद हुये हैं और जनसंख्या विहीन हुये गांव के रख-रखाव व सुरक्षा हेतु क्या उपाय किये जा रहे हैं?

राजस्व

श्रीमती अमृता रावत
07.07.2011

2. विधान सभा के तृतीय सत्र, 2009 के प्रथम बुधवार को उत्तरित अतारांकित प्रश्न संख्या 6 के सन्दर्भ में क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि पटवारी चौकियों के निर्माण में बतायी गई आपत्तियों/त्रुटियों का निवारण करवाने तथा उक्त चौकियों में पटवारी मुख्यालय/कार्यालय स्थापित करने/करवाने के सम्बन्ध में तब से अब तक की गई कार्यवाही और हुई प्रगति का विवरण क्या है? क्या सभी निर्मित एवं अपूर्ण चौकियों में पटवारी कार्यालय स्थापित/संचालित किए जा रहे हैं? यदि हां, तो पटवारी चौकीवार विवरण क्या है? यदि नहीं, तो इसके प्रति कौन उत्तरदाई है तथा उत्तरदाई के प्रति सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

राजस्व

श्रीमती वीना महाराना
07.07.2011

3. क्या राजस्व मंत्री अवगत हैं कि जनपद चम्पावत के अन्तर्गत टनकपुर व बनबसा क्षेत्र की अधिकांश भूमि नजूल श्रेणी की है? यदि हां, तो क्या उक्त भूमि के विनियमितीकरण हेतु सरकार आवेदन आमंत्रित करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

द्वितीय सोमवार
के अतारांकित 9
में स्थाना0

श्री जोत सिंह गुनसोला
12.07.2011

4. क्या संस्कृत शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार प्रदेश में स्थित संस्कृत विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में मानकों के अनुरूप स्वीकृत पदों के सापेक्ष रिक्त पदों को भरे जाने हेतु विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

संस्कृत शिक्षा

श्री जोत सिंह गुनसोला
13.07.20101

5. क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या सरकार प्रदेश के होटलों में ठहरने वाले आगन्तुकों से वर्तमान में 1000/- रुपये प्रतिकक्ष किराये पर ली जा रही लकजरी टैक्स की सीमा को बढ़ाकर 5,000/- रुपये प्रतिकक्ष किराये पर अधिरोपित किये जाने पर विचार करेगी? क्या सरकार लकजरी टैक्स की वसूली वाणिज्य कर विभाग से पर्यटन विभाग को सौंपने पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

प्रथम सोमवार के
अतारांकित 91 में
स्थाना0

श्रीमती अमृता रावत 15.07.2010	6.	क्या पर्यटन मंत्री अवगत हैं कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र बीरोंखाल के अन्तर्गत स्थान बीरोंखाल तथा पोखड़ा में पर्यटन आवास गृहों के निर्माण हेतु कब कितनी-कितनी धनराशि किस शासनादेश के द्वारा स्वीकृत की गई है तथा अब तक कब-कब कितनी-कितनी धनराशि अवमुक्त की गई है और इन पर्यटक आवास गृहों के निर्माण कार्य की प्रगति का विवरण क्या है? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि कब तक इन आवास गृहों का निर्माण पूर्ण किया जायेगा तथा विलम्ब के क्या कारण है और इसके प्रति कौन उत्तरदायी हैं?	पर्यटन
श्री जोत सिंह गुनसोला 21.07.2011	7.	क्या नगर विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या सरकार मसूरी स्थित किंकेग पर बहुमंजिला वाहन पार्किंग बनवाने जा रही है? यदि हां, तो इस कार्य पर कितनी लागत आयेगी तथा कार्य कब तक प्रारम्भ किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?	द्वितीय बुधवार तक स्थगित
श्री जोत सिंह गुनसोला 21.07.2011	8.	क्या नगर विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या सरकार मसूरी नगर पालिका परिषद क्षेत्र में एम0डी0डी0ए0 के साथ मिलकर कुल कितने व किन-किन स्थानों पर पार्किंग स्थल का निर्माण करने पर विचार कर रही है तथा कब तक इन पार्किंग स्थलों का निर्माण कार्य प्रारम्भ हो जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?	नगर विकास
श्री जोत सिंह गुनसोला 25.07.2011	9.	क्या शहरी विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में नगरपालिका अधिनियम 1916 के संगत प्रावधानों के अन्तर्गत वर्तमान नगर पालिकाओं एवं पंचायतों का गठन किया गया है? यदि हां, तो क्या संविधान के 74 वां संशोधन के अन्तर्गत वरिष्ठ उपाध्यक्ष/कनिष्ठ उपाध्यक्ष का चुनाव कराने की कोई आवश्यकता नहीं है? क्या संविधान के 74 वां संशोधन के संगत प्रावधानों के अन्तर्गत उक्त निकायों का चुनाव न कराने के लिए कोई जिम्मेदारी निर्धारित की जायेगी?	शहरी विकास
श्री जोत सिंह गुनसोला 25.07.2011	10.	क्या शहरी विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि नगर पालिका परिषद मसूरी के अन्तर्गत बहुचर्चित घण्टाघर को किन विधिक आदेशों के अन्तर्गत तोड़ा गया? क्या सरकार इस प्रकरण में तोड़-फोड़ से लेकर निर्माण किये जाने तक की प्रक्रिया की विस्तृत जांच करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो कब?	शहरी विकास
श्री केदार सिंह रावत 26.07.2011	11.	क्या राजस्व मंत्री अवगत हैं कि जनपद उत्तरकाशी के नौगांव पुरोला व मोरी विकास खण्ड की जनता विगत काफी समय से पृथक यमुनाघाटी जनपद की मांग करती आ रही है? यदि हां, तो सरकार जनता की इस न्यायोचित मांग पर विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	राजस्व

श्रीमती अमृता रावत 01.08.2011	12. विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2009 के प्रथम सोमवार को उत्तरित प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या 15 तथा 07 के सन्दर्भ में क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत अपूर्ण पटवारी चौकियों को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही और अब तक हुई प्रगति का विवरण क्या है तथा कब तक अपूर्ण पटवारी चौकियों का अवशेष निर्माण कार्य पूर्ण किया जायेगा?	राजस्व
श्री राजेश जुवांटा 03.08.2011	13. क्या नगर विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र पुरोला के अन्तर्गत पुरोला को नगर पंचायत का दर्जा देने पर विचार किया जा रहा है? यदि हां, तो कब तक निर्णय ले लिया जाएगा? यदि नहीं, तो क्यों?	नगर विकास
श्री मनोज तिवारी 04.08.2011	14. क्या आबकारी मंत्री बताने का कष्ट करेंगे क्या प्रदेश के शराब विक्रेता (शराब दुकानदार) उपभोक्ताओं को शराब खरीद के रसीदें देते हैं? यदि नहीं, तो क्यों?	आबकारी
श्री गणेश जोशी 05.08.2011	15. क्या नगर विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या मलिन बस्तियों को नियमित किये जाने हेतु योजना शासन स्तर पर विचाराधीन है? यदि हां, तो क्या सरकार मलिन बस्तियों को नियमित किये जाने पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	नगर विकास
श्री शैलेन्द्र सिंह रावत 09.08.2011	16. क्या शहरी विकास मंत्री अवगत हैं कि घोषणा संख्या 667/2011 दिनांक 28.05.2011 के अन्तर्गत मुख्यमंत्री द्वारा जनपद पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार में बुद्ध पार्क के सौन्दर्यीकरण हेतु धनराशि स्वीकृति की घोषणा की गयी थी? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पार्क के सौन्दर्यीकरण हेतु आवश्यक कार्यवाही कर धन अवमुक्त करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?	शहरी विकास
श्रीमती अमृता रावत 10.08.2011	17. क्या नगर विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद देहरादून के अन्तर्गत डिफेंस कालोनी और शाहनगर (गोरखपुर) के मध्य स्थित तालाब के स्थान पर गौरादेवी वाटर पार्क का शिलान्यास हुआ था? यदि हां, तो उसका शिलान्यास कब और किसके द्वारा किया गया तथा पार्क का प्रस्तावित क्षेत्रफल का विवरण क्या था एवं पार्क की अनुमानित लागत क्या थी?	नगर विकास
श्री प्रेमानन्द महाजन 25.08.2011	18. क्या नगर विकास मंत्री अवगत हैं कि चंडीघाट हरिद्वार में जनपद गढ़वाल, जनपद हरिद्वार के कई ग्रामीण स्थानों से दाह संस्कार हेतु लोग आते हैं? क्या मंत्री जी के संज्ञान में है कि उक्त स्थान पर दाह संस्कार हेतु समुचित व्यवस्था का अभाव है? क्या यह सत्य है कि अत्यधिक वर्षा/गर्मी के दिनों में दाह संस्कार में सम्मिलित होने वाले लोगों के लिए किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार सम्पूर्ण चण्डीघाट क्षेत्र का सौन्दर्यीकरण, दाह संस्कार की समुचित व्यवस्था, घाट का निर्माण तथा लोगों की सुविधा हेतु शेड निर्माण कराये जाने पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक?	द्वितीय बुधवार तक स्थगित

श्री गगन सिंह रजवार
25.08.2011

19. क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र धारचूला में विश्व प्रसिद्ध मिलन ग्लेशियर और आदि कैलाश, छिपलाकोट जाने वाले पर्यटकों की संख्या प्रति वर्ष कितनी है? क्या सरकार उक्त पर्यटक स्थलों के लिए पैदल मार्ग तथा विश्राम हेतु आवासीय भवनों आदि के निर्माण की योजना बना रही है? यदि हां, तो निर्मित की जाने वाली योजनाओं का विवरण क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?

पर्यटन

श्री शेर सिंह गढ़िया
29.08.2011

20. क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के अन्तर्गत कुल कितने धार्मिक स्थलों को पर्यटन के अन्तर्गत चयनित किया गया है? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि धार्मिक स्थलों को पर्यटन के रूप में विकसित किये जाने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा कोई योजना बनाई जा रही है? यदि हां, तो कुल कितने? यदि नहीं, तो क्यों?

पर्यटन

श्री शेर सिंह गढ़िया
29.08.2011

21. क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विश्व प्रसिद्ध पिण्डारी ग्लेशियर के विकास के लिए केन्द्रीय पर्यटन सर्किट में कुल कितनी योजनाओं के लिए धनराशि स्वीकृत की गई? क्या यह सत्य है कि उक्त योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि अवशेष है तथा वहाँ पर निर्माणाधीन योजनाओं की गुणवत्ता खराब थी? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त योजनाओं के निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत न कराये जाने के क्या कारण हैं? क्या अवशेष धनराशि से अन्य कार्य कराये जायेंगे? यदि हां, तो कराये जाने वाले कार्यों का स्वरूप क्या होगा? यदि नहीं, तो क्यों?

पर्यटन

‘नत्थी ग’

कार्यमंत्रणा समिति ने दिनांक 27 सितम्बर, 2011 की बैठक में दिनांक: 28 एवं 29 सितम्बर, 2011 के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है:—

सितम्बर, 2011

28, बुधवार

(क) विधायी कार्य

1. उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक, 2011 पर विचार एवं पारण। (1 घण्टा)
2. उत्तराखण्ड विशेष न्यायालय विधेयक, 2011 पर विचार एवं पारण। (1 घण्टा)
3. उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार विधेयक, 2011 पर विचार एवं पारण। (1 घण्टा)

- (ख) 1. वित्तीय वर्ष 2011-12 की प्रथम अनुपूरक अनुदान- मांगों का प्रस्तुतीकरण। (4:00 बजे)

29, बृहस्पतिवार

- (1) वित्तीय वर्ष 2011-12 की प्रथम अनुपूरक मांगों पर चर्चा एवं मतदान (आधा दिवस)

- (2) असरकारी कार्य (आधा दिवस)

असरकारी विधेयक

1. श्री किशोर उपाध्याय, सदस्य विधान सभा द्वारा उत्तराखण्ड पंचायत राज विधेयक, 2011 का प्रस्तुतीकरण एवं विचार।

असरकारी संकल्प :-

1. श्री जोत सिंह गुनसोला, सदस्य विधान सभा द्वारा निम्नलिखित संकल्प का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा :-

“यह सदन संस्तुति करता है कि एक प्रमुख पर्यटन एवं तीर्थ स्थल होने के दृष्टिगत उत्तराखण्ड में पर्यटकों, तीर्थयात्रियों एवं स्थानीय लोगों को परिवहन की नियमित एवं सुरक्षित सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रदेश की परिवहन नीति में तुरन्त आवश्यक संशोधन किये जाय।”

2. श्री हरभजन सिंह चीमा, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 25 मार्च, 2011 को प्रस्तुत निम्नलिखित संकल्प पर चर्चा :-

“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि राज्य की प्रशासनिक इकाईयों का पुनर्गठन किया जाय।”

नियम 105 के अन्तर्गत प्रस्ताव :-

1. डा० हरक सिंह रावत, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 24 दिसम्बर, 2009 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :-

“यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि उत्तर प्रदेश व उत्तराखण्ड के सीमावर्ती जनपद बिजनौर के 61 ग्राम पंचायतों को उत्तराखण्ड राज्य में शामिल किया जाय।”

2. श्री जोत सिंह गुनसोला, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 25 मार्च, 2011 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :-

“इस सदन का सुविचारित मत है कि संविधान 74 वां संशोधन की मूल भावना के अनुरूप राज्य में नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों एवं नगर निगम में लोकतांत्रिक व्यवस्था के सुचारु क्रियान्वयन हेतु इन निकायों में विभिन्न संवैधानिक पदों पर निर्धारित प्रक्रियानुसार पदाधिकारियों के निर्वाचन की व्यवस्था करने हेतु सरकार तत्काल कदम उठाये ताकि विकासात्मक कार्यों को जनाकांक्षाओं के अनुरूप समय पर पूर्ण किया जा सके।”

3. काजी निजामुद्दीन, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 25 मार्च, 2011 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :-

“इस सदन का सुनिश्चित मत है कि राज्य में आम आदमी को मंहगाई की मार से राहत देने हेतु डीजल व पेट्रोल पर वैट को घटाया जाये।”